

<p>तारीख</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>प्रतापराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू. अ. अ. अपील सं. 75/2017</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मते जारी हुए</p>
<p>05.06.17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रतापराम विश्नोई पुत्र स्व. सुरजनराम विश्नोई, पता मु०पो० चन्द्रनगर, पंचायत जम्भेश्वर नगर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.03.2017 में उसके द्वारा (1) विश्नोईयों का वास लोहावट में ढाकों की शक्ति के सामने स्थित जमीन का संलग्न पत्र के सम्बन्ध में अन्य किसी व्यक्ति को पुनः पट्टा जारी किया गया होतो उसकी प्रमाणित प्रति एवं पत्रावली की नोटशीअ पर की गई कार्यवाही एवं आदेश की प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 712 दिनांक 24.05.17 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा को प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र भिजवाया गया। अभिलेख अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 702 दिनांक 19.05.17 द्वारा सूचित किया गया कि हवालाखास के समय का रिकॉर्ड जिला अभिलेखागार में उपलब्ध सूचियों के अनुसार जमा नहीं होना पाया गया, ऐसी स्थिति में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को विलम्ब से वस्तुस्थिति से सूचित किया गया अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण समय पर करे। इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।</p>	